EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा

EVM हटाओ VVPAT हटाओ बैलेट पेपर लाओ

भारत बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतन्त्र बचाओ

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदया,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक :

द्वारा :

ज्ञापन

विषयः भारत में चुनावों में मतदान के समय प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवी पैट मशीनों का प्रयोग तत्काल बन्द किए जाने और बैलट पेपर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में निम्नलिखित चुनाव सुधार करने के सम्बन्ध में ज्ञापन ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया,

किसी भी देश में शासन की सबसे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था । भारत ने भारतीय संविधान के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया है । लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाये रखने और उसे सशक्त करने के लिए जरूरी है कि सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो और यह जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की । इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 329 तक में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, उसके कार्य और शक्तियों की व्यवस्था की गई है । चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी या अन्य दबाव व डर के स्वतंत्र और निडर होकर कार्य कर सके ऐसी पूर्ण व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत की गई है । भारत के संविधान और भारत के मतदाताओं और अंततः भारत की जनता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में होने वाले चुनाव और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि 18 वर्ष ओर उससे अधिक उम्र का भारत का प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में नामांकित हो सके, स्वतंत्र होकर मतदान कर सके और स्पष्ट रूप से यह देख सके कि चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है तथा अनपढ़ और अशिक्षित मतदाता भी यह सुनिश्चित कर सके कि उसने जिस उम्मीदवार और जिस पार्टी को वोट दिया है वह उसी को गया है और उसी उम्मीदवार और पार्टी के खाते में उसकी वोट गिनी जाएगी ।

-------2

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005
फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

भारत में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं के चुनावों में मतदान के लिए ईवीएम और वीवी पैट मशीनों के रूप में जो मतदान प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है । भारत के मतदाता को नहीं पता है कि उसने जो वोट दिया है वह पंजीकृत हुआ भी है या नहीं । अगर पंजीकृत हुआ भी है तो उसने जिस उम्मीदवार और जिस पार्टी को अपना वोट दिया है वह वोट उसी उम्मीदवार और पार्टी के खाते में ही गया है और उसी के खाते में ही गिना जायेगा ? या उसका वोट किसी अन्य उम्मीदवार या पार्टी या नोटा पर तो नहीं गया है और उनके खाते में ही तो नहीं गिना जायेगा ? प्रत्येक मतदाता को भौतिक रूप से इस तथ्य का सुनिश्चित होना नितान्त आवश्यक है, किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है ।

जिस ईवीएम और वीपी पैट मशीन के माध्यम से भारत में मतदान हो रहा है उसके सम्बन्ध में भारत के करोड़ों मतदाताओं के मन में कई गम्भीर प्रश्न हैं :-

प्रश्न-1 क्या भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद तथा भारत संघ के सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, सभी विधान सभाओं और विधान परिषदों के विधायक जानते हैं कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है ? और वह कैसे कार्य करती है ?

प्रश्न-2 क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश (न्यायमूर्ति), सभी उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीश व अन्य सभी न्यायाधीश (न्यायमूर्ति) तथा सभी जिला और निचली अदालतों के जिला जज, अपर जिला जज व अन्य जज और मजिस्ट्रेट जानते हैं कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है ? और वह कैसे कार्य करती है ?

प्रश्न-3 क्या इस देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों, संस्थानों के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी आईएएस, आईपीएस, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, सह सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, कलक्टर, ए.डी.एम., एस.डी.एम., डी.जी.पी., एडीशनल डी.जी. पी., आई.जी., डी.आई.जी., एस.एस.पी., एस.पी., ए.एस.पी., ए.सी.पी. /डी.एस.पी., सी.ओ., एस.एच.ओ., एस.ओ., इंसपेक्टर एवं तमाम सरकारी अमला जातना है कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है ? और वह कैसे कार्य करती है ?

प्रश्न-4 क्या भारत तीनों सेनाओं के सभी अधिकारी और सैनिक जानते हैं कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है ? और वह कैसे कार्य करती है ?

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

प्रश्न-5 इंजीनियर (सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को छोड़कर) सभी डॉक्टर, सभी वकील, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों के वाईस चांसलर्स, सभी प्रोफेसर्स व अध्यापक, पीएचडी और अन्य डिग्रीधारी सभी पढ़े लिखे और शिक्षित मतदाता जानते हैं कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है ? और वह कैसे कार्य करती है ?

उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर है---नहीं ।

"केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को छोड़कर भारत के सभी पढ़े लिखे और शिक्षित नागरिक और मतदाता नहीं जानते हैं कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की तकनीक क्या है और वह कैसे कार्य करती है ? जब पढ़े लिखे और शिक्षित नागरिक और मतदाता नहीं जानते तो अनपढ और अशिक्षित नागरिक और मतदाता क्या जानेंगे ? कितने अफसोस, दुःख और शर्म की बात है कि भारत में मतदान उस प्रक्रिया से कराया जा रहा है जिसे भारत के शिक्षित और अशिक्षित 99 प्रतिशत से अधिक मतदाता जानते ही नहीं हैं बस अन्धे होकर बारम्बार मतदान करते चले जा रहे हैं ।"

क्या मतदान के लिए ऐसी प्रणाली और ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना चाहिए जिसे भारत का प्रत्येक नागरिक और मतदाता यहां तक कि अनपढ और अशिक्षित मतदाता भी जानता और समझता हो । मतदान की ऐसी प्रणाली यदि कोई है तो वह केवल बैलट पेपर से मतदान की प्रक्रिया ही है । बैलट पेपर के माध्यम से मतदान होने पर ही प्रत्येक भारतीय मतदाता का मताधिकार सुरक्षित रहेगा ।

ईवीएम और वीवी पैट मशीनों के सम्बन्ध में कुछ और तथ्यों को आपके संज्ञान में लाना नितान्त आवश्यक है :-

1) सुप्रीम कोर्ट ने 08 अक्टूबर 2013 को "सुब्रहमणयन स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया" वाले मुकदमे में दिये गये निर्णय में पैरा नं0-9 में लिखा है कि *"याचिकाकर्ता के अनुसार ईवीएम के माध्यम से होने वाली वर्तमान प्रणाली में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिसके द्वारा एक मतदाता अपनी वोट की जांच कर सके और उसे सुनिश्चित कर सके । वर्तमान समय में मतदाता केवल एक बटन दबाता है, किन्तु अपने वास्तविक मतदान को सुनिश्चित नहीं कर सकता । उसे यह निश्चित नहीं होता कि उसका मत दर्ज हुआ है या नहीं और अगर दर्ज हुआ है तो क्या वह उसी व्यक्ति के पक्ष में दर्ज हुआ है जिसे वह अपना मत देना चाहता है या नहीं । क्या वह मान्य है या अमान्य और क्या वह गिना जाएगा या नहीं, जब तक कि स्वयं मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से इन सवालों के जवाब न देख लिए जायें तब तक यह नहीं कहा जा सकता*

-------4

कि उसके द्वारा मतदान किया गया है, क्योंकि "अपनी इच्छा का बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना" सही अर्थो में वास्तविक मतदान नहीं है, जब तक कि मतदाता अच्छी तरह से यह न जान ले कि ईवीएम पर अपनी इच्छा का बटन दबाने का परिणाम क्या हुआ ।" वैसे तो इसके बाद किसी बहस या चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को पूरी तरह से बन्द करके बैलट पेपर से ही चुनाव शुरू करा देना चाहिए था । किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा न करके और यह मानते हुए कि *" केवल ईवीएम के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता" ईवीएम के साथ वीवी पैट लगाने का निर्णय देते हुए पैरा नं0-28 में कहा था कि "पेपर ट्रेल" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अनिवार्य आवश्यकता है । ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास केवल "पेपर ट्रेल" को लाने से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्था में पूर्णतः पारदर्शिता लाने और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ईवीएम के साथ वीवी पैट प्रणाली लगाई जाए, क्योंकि वोट अभिव्यक्ति के एक कार्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असीम महत्व रखता है ।"* किन्तु 2017 तक चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में ईवीएम के साथ वीवी पैट मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया । 24 अप्रैल 2017 को एक अन्य मुकदमें में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों में प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवी पैट मशीने लगाई जायें । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही भारत सरकार ने चुनाव आयोग को 3568 करोड रूपये वीवी पैट मशीनों के निर्माण के लिए दिये । मशीनें बनी और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रयोग भी हुई ।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब "केवल ईवीएम के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता" और वीवी पैट मशीने चुनावों में ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने और उसकी विश्वसनीयता कायम करने के लिए बनाई और लगाई गई थी तो उनसे निकलने वाली पर्चियों जो कि वास्तविक रूप में वोट है, की शत प्रतिशत गिनती क्यों नहीं की जाती है ?

ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया में तीन मशीनों का प्रयोग किया जाता है एक कंट्रोल यूनिट जिसमें वोटों का इलैक्ट्रिक रूप से जाना और इक्ट्ठा होना बताया जाता है जो दिखता ही नहीं है, दूसरे बैलट यूनिट जिस पर बटन दबाकर मतदाता वोट देता है और तीसरे वीवी पैट मशीन जिसमें 7 सेकेण्ड के लिए वोट दिखती है और फिर पर्ची उसी में अन्दर गिर जाती है । भारत के प्रत्येक मतदाता के साथ सबसे भद्दा और

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा
9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005
फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

घिनौना मजाक यह है कि जिस मशीन यानि कंट्रोल यूनिट से वोटों की गिनती होती है उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं और जिसमें 7 सेकेण्ड के लिए एक पर्ची पर वोट दिखती है जो सही मायने में वोट है वह पर्ची मतदाता को मिलती ही नहीं है और न ही मतदातरा को उस पर्ची / वोट को किसी बॉक्स / डिब्बे में डालने की सुविधा या अधिकार है और ना ही उस पर्ची की गिनती होती है । यह बात "द क्विन्ट" की रिपोर्ट से साफ हो जाती है, जिसने भारत चुनाव आयोग से आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2019 लोक सभा चुनावों की वी0वी0 पैट की पर्चियों की गिनती का आंकड़ा (डाटा/रिकार्ड) मांगा तो चुनाव आयोग ने यह कहकर रिकार्ड देने से मना कर दिया कि उसके पास यह रिकार्ड है । मतदाता के साथ उससे बड़ा घात और उसके मताधिकार को छीनना और लूटना क्या हो सकता है ?

"द क्विन्ट" ने एक आरटीआई के द्वारा चुनाव आयोग को ईवीएम के साथ लगाये गये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी मांगी, किन्तु चुनाव आयोग ने 22 मई, 2019 को जवाब दिया कि ईवीएम के साथ लगाये गये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का कोई डाटा चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं है । यह बातें यह सिद्ध करती हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम की अदला-बदली के घोटाले में शामिल है और चुनावों में हुई धांधली को छुपाने के लिए निरन्तर काम कर रहा है और उससे सम्बन्धित कोई भी सूचना देने को तैयार नहीं है ।

2) एक अन्य प्रश्न यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 20 लाख ईवीएम गायब होने की खबरे बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी । इन गायब ईवीएम से संबंधित मुकदमा - मुम्बई उच्च न्यायालय में गया और सम्भवतः इस समय भी विचाराधीन है । मुम्बई के आरटीआई कार्यकर्ता श्री मनोरंजन रॉय ने चुनाव आयोग में एक आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग से यह पूछा कि सन् 2014 तक पिछले 15 वर्षो में चुनाव आयोग ने कितनी ईवीएम खरीदी हैं और किस कम्पनी से खरीदी हैं। चुनाव आयोग ने आरटीआई का जवाब दिया कि उसने बैंगलोर सिथत बीईएल कम्पनी से 1005662 ईवीएम तथा हैदराबाद स्थित ईसीआईएल कम्पनी से 1014644 ईवीएम खरीदी थी । इस प्रकार चुनाव आयोग ने कुल 2020306 ईवीएम खरीदीं । श्री मनोरंजन रॉय ने फिर 02 आरटीआई लगाई, एक बीईएल कम्पनी में और दूसरी ईसीआईएल कम्पनी में और उन कम्पनियों से पूछा कि उन्होंने सन् 2014 तक पिछले 15 वर्षो में भारत चुनाव आयोग को कितनी ईवीएम सप्लाई की हैं । बीईएल कम्पनी ने बताया कि उसने 1969932 ईवीएम सप्लाई की हैं तथा

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

ईसीआईएल कम्पनी ने बताया कि उसने 1944593 ईवीएम सप्लाई की हैं । इस प्रकार भारत चुनाव आयोग को 2014 से पहले पिछले 15 सालों में कुल 3914525 ईवीएम सप्लाई की गई अर्थात् चुनाव आयोग द्वारा बताई गई संख्या से 1894219 ईवीएम ज्यादा । आखिर चुनाव आयोग उसके द्वारा खरीदी गई ईवीएम की सही संख्या क्यों नहीं बता रहा है ? छुपा क्यूं रहा है ? झूठ क्यूं बोल रहा है ? क्या राज है ? क्या इसमें उसका कोई स्वार्थ है ? और फिर चुनावों के समय बिना किसी सुरक्षा के खुलेआम ट्रकों, मैटाडोर, टैम्पो, थ्री-व्हीलर/ऑटो और रिक्शे इत्यादि में तहसीलदार एवं एसडीएम की गाडियों में ईवीएम के ले जाने तथा ढाबों और होटलों में ईवीएम के मिलने की वीडियो सामने आई । कई जगह प्रत्याशियों को बताये बिना स्ट्रांगरूम से ईवीएम के अन्दर और बाहर आने जाने की भी खबरें आई । आज तक चुनाव आयोग ने इनमें से किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

3) एक अन्य प्रश्न यह भी है कि कई जगह लोकसभा और विधानसभा चुनावों में स्वयं उम्मीदवार का वोट उसके अपने ही पोलिंग बूथ तक में नहीं निकला । ऐसा अमरावती विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर एक उम्मीदवार का वोट अपने ही पोलिंग बूथ में शून्य निकला । ऐसा ही 2019 के लोकसभा चुनावों में बागपत लोकसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर एक उम्मीदवार सुभाष कश्यप का वोट अपने ही पोलिंग बूथ में शून्य निकला । ऐसा ही अभी नवम्बर, दिसम्बर 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में सम्पन्न हुए विधान सभाओं के चुनावों में हुआ जहां इन दोनों राज्यों के एक-एक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक उम्मीदवार के वोट अपने ही बूथ में शून्य निकले जिसकी चर्चा मीडिया विशेषकर प्रिन्ट मीडिया में भी खूब हुई लेकिन चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है । क्या कोई उम्मीदवार अपने को भी वोट नहीं देगा ? गुंटूर लोकसभा क्षेत्र में गंडोगानुमाल में टीडीपी उम्मीदवार को ईवीएम मशीन में एक वोट और वीवी पैट मशीन की गिनती में 194 वोट मिले । यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि ईवीएम और वीवी पैट मशीनों में गड़बड़ी है और इन मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यह बात उस समय और पुख्ता हो गई जब बदायूं लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री धर्मेन्द्र यादव के क्षेत्र के बिलसी विधानसभा में वोट तो पड़े 188248 और मतगणना के समय वोट निकले 196110 अर्थात् 7862 वोट ज्यादा । यह बात सिद्ध करती है कि ईवीएम के माध्यम से जबरदस्त गड़बड़ी की जा रही है । ईवीएम की इस गड़बडी व धांधली पर उस समय अन्तिम रूप से मोहर लग गई जब 23 मई

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

2019 को लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान चुनाव आयोग की वैबसाईट से लिये गये आंकडों के बाद 'द क्विन्ट" पत्रिका में यह रिपोर्ट छपी कि 373 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना के दौरान गिने गये वोटों की संख्या डाले गये वोटों से लगभग 8000 से 18000 तक ज्यादा या कम है । इसलिए इन्हें तत्काल बन्द कर देना चाहिए । ''द क्विन्ट" ने इस सब के विषय में चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर पूछा, किन्तु अभी तक चुनाव आयोग ने उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है । अपितु अपनी वैबसाईट से ये आंकड़े ही हटा दिये हैं ।

4) एक अन्य प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली चिप जो कि अमेरिका से मंगाई गई है, को पहले तो कहा कि वह ओटीपी (वन टाईम प्रोग्रामिंग है) अर्थात् उस चिप में एक बार ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, दुबारा नहीं, किन्तु बाद में जब कई लोगों ने चुनाव आयोग के दावे को झूठा साबित किया और एक आरटीआई के माध्यम से ईवीएम सप्लाई करने वाली कम्पनी से यह सूचना हासिल की कि ईवीएम में प्रयोग होने वाली चिप की रिप्रोग्रामिंग हो सकती है, इसका अर्थ यह है कि ईवीएम में फेरबदल हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है और धांधली हो सकती है, तब चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था ।

5) एक अन्य प्रश्न यह है कि जब दुनियां के उन विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, उसका निर्माण किया, ने ईवीएम का प्रयोग बन्द करके बैलट पेपर से मतदान को पुनः अपना लिया है तो भारत सरकार और भारत चुनाव आयोग इसे क्यूं प्रयोग में ला रहा है? जिस देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम पर हो, सरकारी तंत्र अपनी नौकरी बचाने और सुविधाभोगी बने रहने के लिए सरकार के समक्ष पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका हो और देश और देश के संविधान व जनता के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह ना करके लगातार गम्भीर सवालों के घेरे में हो तथा सरकार और सरकारी अमले ने लगातार जनता के विश्वास को धोखा दिया हो, जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ व निरक्षर हो और पढे लिखे व तथाकथित शिक्षित नागरिकों में भी अधिकतर ईवीएम की तकनीक को जानते समझते न हों, वहां ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है ? इसे बन्द क्यों नहीं किया जाता है ? देश का प्रत्येक मतदाता क्यों अंधेरे में रहे कि पता नहीं उसका वोट किसको गया है ? क्यों न उसे यह सुनिश्चित रहे कि उसने जिस पार्टी और जिस

-------8

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

उम्मीदवार को वोट दिया है उसका वोट उसी को गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा और यह केवल बैलट पेपर से ही सम्भव हो सकता है ।

6) एक अन्य प्रश्न यह है कि भारत में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनावों में एक ही समय में दो तरह की मतदान पद्धतियां अपनाई जा रही हैं । एक जो हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बैलट पेपर से मतदान की पद्धति अपनाई जाती है, जिसे पोस्टल बैलट कहा जाता है और दूसरी तरफ बाकी अन्य सभी मतदाताओं के लिए ईवीएम पद्धति से मतदान कराया जाता है जो न केवल गैर कानूनी और असंवैधानिक है अपितु नैतिक रूप से भी गलत है और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है । *" यहां यह उल्लेखनीय है कि अभी अभी नवम्बर और दिसम्बर 2023 में मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य पदेश और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी गिनती के समय दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को यह बात निकलकर आई कि मध्य प्रदेश विधान सभा की वोटों की गिनती के समय पोस्टल बैलट की गिनती में कांग्रेस पार्टी 199 सीटों पर आगे थी और जब ईवीएम की वोट खुलने के बाद अन्तिम परिणाम सामने आया तो वहां बीजेपी 164 के लगभग सीटें जीत कर सरकार बना लेती है । ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों का जिसमें पोस्टल बैलट की गिनती में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे थी और बीजेपी मात्र 90 सीटों के लगभग थी किन्तु जब ईवीएम की गिनती के बाद अन्तिम परिणाम आया तो बीजेपी 225 सीटें जीत कर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है । क्या यह प्रश्न विचारणीय नहीं है कि हर जगह पोस्टल बैलट में बीजेपी बुरी तरह से पीछे होती है और ईवीएम की गिनती में आगे ? "*

7) एक अन्य प्रश्न यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान हैदराबाद के एक सज्जन ने प्रमाणिक रूप से बताया है कि पूरे देश में वोटर लिस्टों में से 05 करोड मुस्लिमों और 06 करोड दलितों की वोट गायब है और यह समाचार तत्समय "द वायर" और "एनडीटीवी इण्डिया" जैसे न्यूज चैनलों पर प्रमुखता से दिखाया गया । इनमें से किसी भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया है ।

8) एक अन्य प्रश्न यह है कि ईवीएम जनता के बीच आपसी दुश्मनी ओर वैमनस्य को बढ़ावा देती है क्योंकि ईवीएम की वोटों की गिनती के बाद यह पता लग जाता है कि किस बूथ में किस पार्टी या उम्मीदवार को कितनी वोट मिली है और इससे शोषितों, पीड़ितों, गरीबों और कमजोरों

-------9

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अन्याय और अत्याचार बढ़ जाते हैं । इसे केवल बैलट पेपर के द्वारा ही रोका जा सकता है ।

9) इस सबके अतिरिक्त एक अन्य प्रश्न यह है कि देश के जाने माने 147 लोगों ने, जिनमें सेवा निवृत्त 64 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं तथा अन्य 83 लोगों में पूर्व वाईस चांसलर, दो पूर्व नौसेना प्रमुख, सेना के जनरल एवं लेफ्टिनेंट जनरल व ब्रिगेडियर तथा वरिश्ठ पत्रकार, प्रमुख समाजसेवी हैं, ने 02 जुलाई 2019 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा तथा अन्य चुनाव आयुक्त श्री अशोक लबासा एवं सुशील चन्द्रा को एक पत्र लिखकर 2019 के लोकसभा चुनावों में हुई गम्भीर अनियमितताओं को लेकर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गम्भीर सवाल खड़े किए हैं किन्तु अभी तक चुनाव आयोग ने इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया है ।

10) एक अन्य प्रश्न यह है कि जो वीवी पैट मशीनें चुनाव आयोग द्वारा इस्त्रेमाल की जा रही हैं वह वी.वी. पैट मशीने चुनाव आयोग ने ई.सी. आई.एल. हैदराबाद, बी.ई.एल. बैंगलोर और बी.ई.एल. पंचकूला से 2018 में 17,50,000 वीवी पैट मशीने खरीदी थी उनके विषय में जनवरी 2022 में चुनाव आयोग ने उन तीनों कम्पनियों को एक पत्र लिखकर यह बताया कि उन 17,50,000 वीवी पैट मशीनों में 37 प्रतिशत अर्थात 6,50,000 वी.वी. पैट मशीने खराब हैं और उनकी संख्या इस प्रकार बताई गई, ई. सी.आई.एल. हैदराबाद की 4,00,000 वी.वी. पैट मशीने, बी.ई.एल. बैंगलोर की 1,85,000 वी.वी0 पैट मशीने और बी.ई.एल. पंचकूला की 65,000 वी.वी. मशीने खराब थी । इसके विषय में अब से 7 महीने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा एक प्रैस कान्फ्रेंस करके व्यापक रूप से मीडिया को जानकारी दी वह प्रैस कान्फ्रेंस आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है । यह एक गंभीर बात है कि 2018 के बाद से 6,50,000 खराब वी.वी0 पैट मशीनों के माध्यम से चुनाव कराया जाता रहा है और इसके विषय में जो पत्राचार किया गया चुनाव आयोग द्वारा वह 2022 में ।

क्या उपरोक्त वर्णित सभी बातें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत में ईवीएम ओर वीवी पैट मशीनों के माध्यम से चुनाव कराना तत्काल बन्द किया जाये और केवल और केवल बैलट पेपर के माध्यम से ही इस देश में भविष्य में कोई भी चुनाव कराये जायें ?

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि भारत चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर देश के मतदाताओं में गम्भीर सवाल उठ रहे हैं

-------10

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

और कहा जा सकता है कि भारत चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता के पूरी तरह खत्म कर चुका है । इसलिए भारत चुनाव आयोग को देश के मतदाताओं में अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त स्व0 श्री टी.एन. शेषन की भांति संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निडरता पूर्वक निवर्हन करते हुए भविष्य में बैलट पेपर से ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराकर देश की जनता और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा स्थापित करें ।

अन्त में हम भारत के लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से विनम्र अनुरोध करते हैं कि :-

1- 2019 के लोकसभा चुनावों और नवम्बर, दिसम्बर 2023 में छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 03 पूर्व न्यायाधीशों के नेतृत्व में एक जांच कमेटी नियुक्त की जाये जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी दोषी हों, उनके विरूद्ध देशद्रोह, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये । तथा छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधान सभाओं के चुनाव और चुनाव परिणाम रद्द करके वहां पर पुनः चुनाव कराये जायें ।

2- अब के बाद इस देश में कोई भी चुनाव चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान सभाओं या विधान परिषदों का चुनाव हो, नगर निगमों या नगर पालिकाओं का चुनाव हो, जिला पंचायतों, न्याय पंचायतों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों या ग्राम प्रधानों का चुनाव हो केवल और केवल बैलट पेपर से ही कराया जाये तथा ईवीएम और वीपी पैट मशीनो का प्रयोग तुरन्त बन्द किया जाये ।

3- भविष्य में किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हों तो एक ही दिन में चुनाव कराये जायें और मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना कराई जाये, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके ।

4- सभी पोलिंग स्टेशनों पर और पोलिंग बूथ के अन्दर सीसीटीवी कैमरे लगाकर मतदान के समय किसी भी तरह की गड़बड़ी की सम्भावना को पूरी तरह खत्म करने की व्यवस्था की जाये ।

5- सभी चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया पादरर्शी हो और उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक पैनल जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता हों, के द्वारा ही

-------11

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com

चुना जाये और चुनाव आयोग के सम्बन्ध में जो विधेयक अभी अभी संसद से पास कराया गया है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।

6- तीनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की रह ही सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समान रूप से दिये जायें और उन्हें भी समान रूप से संवैधानिक संरक्षण दिया जाये ।

7- लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधानों के लिए एक समान अर्थात् एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है ।

हम भारत के लोग

व्यवस्थापक / आयोजक : भानुप्रताप सिंह एडवोकेट, हिजम राजेन्द्र सिंहा

9/87-ए, सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.-201005

फोन : 7840868666, 9818470293 ईमेल : rjsp261113@gmail.com